



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266801  
CG-DL-E-09102025-266801

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4465]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947

No. 4465]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

## सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2025

**का.आ. 4594(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले में NH419 के कि.मी. 47.600 (पोखरिया मोड़) से कि.मी.62.949 (गोविंदपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लेन्ड एक्सिजन औफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में NH419 के कि.मी. 47.600 से कि.मी.62.949 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखण्ड			जिले का नाम: धनबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोविंदपुर					
गांव का नाम: खरनी					
1	2656	निजी	पुरानी परती काविल आबाद	0.0081 ( एकर )	0.003278
2	3167	निजी	डोन -1	0.0549 ( एकर )	0.0222177
3	3168	निजी	डोन -1	0.0181 ( एकर )	0.007325
4	3170	निजी	कनाली	0.0174 ( एकर )	0.0070417
5	3179	निजी	कनाली	0.0102 ( एकर )	0.0041279
6	3180	निजी	कनाली	0.0335 ( एकर )	0.0135573
7	3185	निजी	बाईद	0.0070001 ( एकर )	0.0028329
8	3186	निजी	कनाली	0.0073 ( एकर )	0.0029543
9	3187	निजी	कनाली	0.0205 ( एकर )	0.0082962
10	3189	निजी	कनाली	0.0222 ( एकर )	0.0089842
11	3195	निजी	कनाली	0.0191 ( एकर )	0.0077297
12	3196	निजी	कनाली	0.0252 ( एकर )	0.0101983
13	3197	निजी	पुरानी परती काविल आबाद	0.0191 ( एकर )	0.0077297
14	3257	निजी	कनाली	0.0393 ( एकर )	0.0159045
15	3258	निजी	डोन -1	0.0541 ( एकर )	0.021894
16	3259	निजी	कनाली	0.033 ( एकर )	0.0133549

17	3260	निजी	डोन -1	0.0185 ( एकर )	0.0074868
18	3261	निजी	बहाल	0.0501 ( एकर )	0.0202752
<b>Total</b>					<b>0.1851883</b>

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/km.50.8 to km.65.326/NH-419/JHR/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2025

**S.O. 4594(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 419 in the stretch of land from Km. 47.600 (Pokharia more) to Km. 62.949 (Govindpur) in the district of DHANBAD in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH419 in the stretch of land from Km. 47.600 to Km. 62.949 in the district of DHANBAD in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: DHANBAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Govindpur</b>					
<b>Village: Kharni</b>					
1	2656	Private	Purani Parati Kabil Aabad	0.0081 (Acre )	0.003278
2	3167	Private	Don -1	0.0549 (Acre )	0.0222177
3	3168	Private	Don -1	0.0181 (Acre )	0.007325
4	3170	Private	Kanali	0.0174 (Acre )	0.0070417
5	3179	Private	Kanali	0.0102 (Acre )	0.0041279
6	3180	Private	Kanali	0.0335 (Acre )	0.0135573
7	3185	Private	Baid	0.0070001 (Acre )	0.0028329
8	3186	Private	Kanali	0.0073 (Acre )	0.0029543
9	3187	Private	Kanali	0.0205 (Acre )	0.0082962

10	3189	Private	Kanali	0.0222 (Acre )	0.0089842
11	3195	Private	Kanali	0.0191 (Acre )	0.0077297
12	3196	Private	Kanali	0.0252 (Acre )	0.0101983
13	3197	Private	Purani Parati Kabil Aabad	0.0191 (Acre )	0.0077297
14	3257	Private	Kanali	0.0393 (Acre )	0.0159045
15	3258	Private	Don -1	0.0541 (Acre )	0.021894
16	3259	Private	Kanali	0.033 (Acre )	0.0133549
17	3260	Private	Don -1	0.0185 (Acre )	0.0074868
18	3261	Private	Bahal	0.0501 (Acre )	0.0202752
<b>Total</b>					<b>0.1851883</b>

. [F. No. RW/Ranchi/LA/km.50.8 to km.65.326/NH-419/JHR/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director